

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103002422010

दांडिक प्रकरण क.-296 / 10

संस्थापित दिनांक-28.07.10

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- वन विभाग म0प्र0 । <div>.....अभियोजन</div>
<div>विरुद्ध</div>
01-धीरज सिंह पुत्र रामचरण आदिवासी उम्र 44 साल 02-सरजूबाई पत्नी धन्नू आदिवासी उम्र 35 साल निवासीगण ग्राम पिपरौधा, ईसागढ़, जिला अशोकनगर म0प्र0 । <div>.....आरोपीगण</div>
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ. । आरोपीगण द्वारा :- श्री मिर्जा अधिवक्ता ।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 04.08.2017 को घोषित)

01- वन विभाग म0प्र0 द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26, 52, 66 गीले पेड़ काटकर वन क्षेत्र के अंदर टपरे बनाना के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया ।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि वन विभाग द्वारा अभियोग पत्र आरोपीगण के विरुद्ध अंतर्गत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26, 52, 66 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने कक्ष क्रमांक आर एफ 18 की सीमा लाइन पर टपरे डाले थे, जिन्हें दिनांक 02.08.09 को उडनदस्ता दल अशोकनगर के सहयोग से टपरे उखाड़ कर तेंदू पत्ता गोदाम ढाकोनी में ले जाकर वैजनाथ को सुपुर्द में लकड़ी दी गई। उस स्थल पर पहुंचकर देखा तो पाया गया कि झाड़ियों से पुनः टपरे डाल लिए गए थे, उन्हें हटाया गया तथा अपराधियों को मौके पर से भगाया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 3964/7 के अंतर्गत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26, 52, 66 के अंतर्गत अब्बल रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 (1) (क्ष) के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया। आरोपीगण ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 02.08.2009 को पिपरौदा के कक्ष क्रमांक आर0एफ0 18 की सीमा पर टपरे बनाने के लिए वन भूमि साफ कर विनिर्माण की प्रक्रिया कारित की जो भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 (1) (क्ष) में दंडनीय अपराध कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 सालिकराम, अ.सा. 02 एहसान, अ.सा. 03 राधेलाल, अ.सा. 04 पन्नालाल, अ.सा. 05 चौहान सिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 02 एहसान मोहम्मद ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 02.08.09 को जमडेरा वीट पर वनरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त साक्षी के अनुसार वह कक्ष क्रमांक 18 में पन्नालाल एवं राधेलाल के साथ गश्त पर गया था। अ.सा. 02 के अनुसार मौके पर पहुंचने पर उनसे पाया था कि आरोपीगण कटी हुई लकड़ी के माध्यम से जंगल के बीच में टपरा बना रहे थे। अ.सा. 02 के अनुसार उनको टपरा बनाने से रोका तो वे नहीं माने और तब उन्होंने उडनदस्ता बुलावाया जिसने टपरे की लकड़ी निकलवाकर ढाकोनी गोदान पहुंचाई थी। अ.सा. 02 के अनुसार उनके द्वारा मौके पर प्रपी 04 का पंचनामा तैयार किया गया था तथा प्रपी 05 के अनुसार लकड़ी व कुल्हाड़ी जप्त की गई थी एवं पीओआर प्रपी 07 जारी की गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने टपरे डालते हुए देखा था।

08— अ.सा. 03 राधेलाल तथा अ.सा. 04 पन्नालाल ने अपने कथन में बताया है कि वे लोग उक्त दिनांक को वीटगार्ड अहसान के साथ गए थे तथा मौके पर आरोपीगण टपरा बनाए हुए थे। अ.सा. 03 के अनुसार मौके पर रखी हुई लकड़ी को वे लोग उडनदस्ते के माध्यम से ढाकोनी लेकर आए थे। उक्त साक्षी ने सूची प्रपी 06, पंचनामा प्रपी 09 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी ने प्रपी 10 एवं प्रपी 11 के कथनों पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। अ.सा. 04 पन्नालाल के अनुसार उन्होंने टपरा बना रहे लोगों ने टपरा बनाने से रोकने की बात कही थी एवं लकड़ी को जप्त किया था। अ.सा. 04 के अनुसार प्रपी 04 का पंचनामा वीटगार्ड द्वारा तैयार किया गया था एवं प्रपी 10 एवं प्रपी 11 के कथन लेखबद्ध किए गए थे। उक्त साक्षी ने प्रपी 01 एवं प्रपी 02 के पंचनामे के सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना

बताया है तथा प्रकरण में आरएएफ 18 की टोपो सीट प्रस्तुत करना बताया है जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर बताए हैं। अ.सा. 01 शालिकराम एवं अ.सा. 05 चौहान सिंह पक्षद्रोही हो गए हैं। उक्त साक्षीगण ने घटना की कोई जानकारी न होना व्यक्त किया है। दोनों साक्षीगण ने अपने कथन में बताया है कि उनके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं हुई। दोनों ही साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया है कि उनके समक्ष जामा तलाशी, गिरफ्तारी आदि की कोई कार्यवाही हुई थी।

09— अभियोजन ने अभिलेख पर जो साक्ष्य प्रस्तुत की है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि अ.सा. 01 एवं अ.सा. 05 पक्षद्रोही हो गए हैं। उक्त साक्षीगण द्वारा अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। अ.सा. 01 एवं अ.सा. 05 ने तलाशी पंचनामा, कथन प्रपी 10, प्रपी 11, जमानतनाम प्रपी 12 एवं प्रपी 13 की कार्यवाही को प्रमाणित नहीं किया है। अभियोजन ने जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की है उनमें अ.सा. 02 लगायत अ.सा. 04 वन विभाग के कर्मचारी हैं। उक्त साक्षीगण के अनुसार घटना दिनांक को जब वे लोग मौके पर पहुंचे थे तब आरोपीगण ने वन भूमि पर टपरा बनाया हुआ था। उक्त साक्षीगण के अनुसार आरोपीगण के टपरे की लकड़ियां जप्त की गई थीं।

10— पंचनामा प्रपी 04 तथा जप्तीनामा प्रपी 05 के स्वतंत्र साक्षीगण की साक्ष्य से उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित नहीं कराया गया है। प्रपी 04 एवं प्रपी 05 के दस्तावेज महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिन पर स्वतंत्र साक्षीगण के हस्ताक्षर भी हैं, किंतु उक्त दस्तावेजों को अभियोजन द्वारा स्वतंत्र साक्षीगण की साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कराया गया है। यही स्थिति पंचनामा प्रपी 09 की भी है। प्रपी 10 एवं प्रपी 11 के कथन के संबंध में स्वतंत्र साक्षीगण ने कथन किया है कि उनके समक्ष कोई कथन नहीं दिया गया। इसी प्रकार प्रपी 01 एवं प्रपी 02 के जामा तलाशी पंचनामा भी प्रमाणित नहीं हो रहा है, क्योंकि स्वतंत्र साक्षीगण ने उनके समक्ष उक्त दस्तावेजों की कार्यवाही होने से इंकार किया है।

11— प्रपी 18 की जो टोपो सीट अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है वह संबंधित अधिकारी से सत्यापित नहीं है तथा मात्र फोटोप्रति है। उक्त टोपो सीट के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि आरोपीगण द्वारा वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर टपरे बनाए गए थे। यद्यपि प्रकरण में यह आवश्यक नहीं था कि घटना के समय स्वतंत्र साक्षीगण उपलब्ध हों, किंतु अभियोजन द्वारा जो दस्तावेजी कार्यवाही की गई है उसका स्वतंत्र साक्षीगण की साक्ष्य से प्रमाणित होना आवश्यक है तथा प्रकरण में इसका अभाव है। उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है वह पूर्ण रूप से आरोपीगण द्वारा कारित अपराध को प्रमाणित नहीं कर रही। अभियोजन द्वारा जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं, वे प्रमाणित नहीं हो रहे। प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य से संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता कि आरोपीगण द्वारा वन विभाग की भूमि पर टपरे बनाए गए थे।

12— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना चाहिए तथा संदेह की स्थिति में आरोपीगण को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। परिणामतः आरोपीगण को संदेह का लाभ देते हुए भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 (1) (क्ष) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

14— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति पूर्व से सुपुर्दगी पर है। उक्त सुपुर्दनामा निरस्त समझा जावे एवं उक्त संपत्ति राजसात की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

15— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)